न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 152/2020

अनवान : –

1. रामेश्वर पुत्र गिरधारी जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र हरपत जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. बलवन्त पुत्र हरपत जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. हंसराज पुत्र हरपत जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. आशाराम पुत्र हरपत जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 15/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 78/76 के प.न. 302/381 मु.न. 9 के किला नं. 16 की 18 बिस्वा, 17 की 1 बीघा, 18 की 1 बीघा, 19 की 1 बीघा, 23 की 1 बीघा, 24 की 1 बीघा, 25 की 18 बिस्या भूमि प.न. 302/382 मु.न. 14 के किला नं. 3 की 18 बिस्वा, 4 की 18 बिस्वा, 5 की 16 बिस्वा, 6 की 18 बिस्वा, 7 की 1 बीघा, 8 की 1 बीघा, 23 की 1 बीघा, 24 की 1 बीघा, 15 की 18 बिस्वा, कुल 16 किता की 15 बीघा, 4 बिस्वा नहरी भूमि स्थित है। जिसके नोपा वल्द फरसा कौम नायक खातेदार काश्तकर है।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जददी जायदाद है जिसमें सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण गैरसायलान के कोपासर्नर है तथा वाद भूमि में सायल का जन्मजात पैदायशी हक व हिस्सा है। गैरसायलान सं. 1 ता 4 ने राजस्व अमला माल महकमा से मिली भगत कर वाद भूमि अपने अकेलो के नाम से अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जब कि वाद भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 6 ता12 सयुक्तत 1/5 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार है। तथा गैरसायलान सं. 1 ता 4 का सयुक्ततः 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 13 ता 16 का 1/5 हिस्सा व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 17 ता 20 [illegible] 24 [illegible] तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 25 ता 28 सयुक्ततः व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी[illegible] सं. [illegible] का 1/5 हिस्सा, व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 30 ता 35 का 1/5 हिस्सा [illegible] खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान सं. 1ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवा[illegible]र उपरोक्तानुसार सा[illegible] दावा में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करापाने का अधिकारी है।

उपरोक्त वाद भूमि रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 129/129 के प.न. 302/381 मु.न. 9 के किला नं. 16/1 की 0.0250 हैक्टर, गै.मु. खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्टर, 17 की 0.2530 हैक्टर, 18 की 0.2530 हैक्टर, 19 की 0.2530 हैक्टर, नहरी कुल 5 किता 1.0120 हैक्टर, भूमि गैरसायल सं. 1 के नाम खाता सं. 74/74 के प.न. 302/382 मु.न. 14 के किला नं. 8 की 0.2530 हैक्टर, 13 की 0.2530 हैक्टर, 14 की 0.2530 हैक्टर, 15/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्टर, कुल 5 खसरेजात की 1.0120 हैक्टर भूमि एवं गैरसायल सं. 2 के नाम खाता सं. 158/105 के प.न. 302/381 मु. न. 9 के किला नं. 23 की 0.2530 हैक्टर, 24 की 0.2530 हैक्टर, 25 की 0.2270 हैक्टर, कुल 3 किता 0.7337 हैक्टर भूमि प.न. 302/382 मु.न. 14 के किला नं. 3 की 0.2277 हैक्टर, कुल 4 किता 0.9614 हैक्टर भूमि एवं गैरसायल सं. 4 के नाम खाता सं. 7/105 के प.न. 302/382 मु. न. 14 के किला नं. 4 की 0.2277 हैक्टर, 5 की 0.2024 हैक्टर, 6 की 0.2277 हैक्टर, 7 की 0.2530 हैक्टर, कुल 4 किता 0.9108 हैक्टर भूमि एवं गैरसायलान सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज अनुचित तरीके से दर्ज है।

गैरसायलान अपने नाम वाद भूमि अनुचित रूप से दर्ज रहने से अन्यत्र रहन बैय करने पर आमादा है तथा उक्त भूमि को गैरसायलान यदि अन्यत्र रहन / बैय कर देते है। अर्थात वे अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तासायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है। चूंकि वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जददी जायदा है। तथा प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में वर्णित भूमि अनुसार गैरसायलान सं. 1 ता 4 का मात्र 1/5 हिस्सा ही है। अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि बैय करते है तो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जाते है। तथा सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए गैरसायलान को वाद भूमि रहन/बैय करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए वाद भूमि जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर वाद भूमि अन्यत्र रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 129/129 की कुल 5 किता 1.0120 हैक्टर, भूमि एवं खाता सं. 74/74 की कुल 5 खसरेजात की 1.0120 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 158/105 की कुल 4 किता 0.9614 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 7/105 की कुल 4 किता 0.9108 हैक्टर भूमि को गैरसायलान सं. 1 ता 4 रहन/वैय व मुन्तकिल ना करे एंव सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा करने से निषिद्ध रहे। एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 129/129 की कुल 1.0120 हैक्टर, भूमि एवं खाता सं. 74/74 की कुल 1.0120 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 158/105 की कुल 0.9614 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 7/105 की कुल 0.9108 हैक्टर भूमि में अंतरिम [illegible] विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः—

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थीगण व प्रार्थी के दादा नोपा के नाम दर्ज रही है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज थी लेकिन अप्रार्थीगण ने अनुचित तरीके से अकेल के नाम दर्ज करवा ली अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन— सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति— अपूर्णीय क्षति [illegible] से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय [illegible] एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम [illegible] मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी [illegible] होगी न की अप्रार्थी को।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 129/129 की कुल 1.0120 हैक्टर, भूमि एवं खाता सं. 74/74 की कुल 1.0120 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 158/105 की कुल 0.9614 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 7/105 की कुल 0.9108 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 15/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested